

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-61/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० श्यामा कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी (संविदा), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अथमलगोला, पटना के द्वारा द्वितीय सतान के प्रसव हेतु दिनांक-05.11.2024 से 03.05.2025 तक कुल-180 दिन उपभोगित अवकाश अवधि को सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-1003 दिनांक-22.01.2021 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-61/2026-

1073(2) पटना, दिनांक 20/5/2026

लिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक--सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्र, अथमलगोला, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० श्यामा कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी (संविदा), प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्र, अथमलगोला, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

लिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Wm K 19/5/26  
सरकार के उप सचिव  
1